भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1366

जिसका उत्तर 09 फरवरी, 2017 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश

1366. डॉ. उदित राजः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश की राशि कितनी है;

(ख) क्या अगले दस वर्षों के दौरान देश की अतिरिक्त विद्युत आवश्यकता का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस प्रयोजन हेतु पहचान किए गए संसाधन क्या हैं; और

(घ) सभी को दिनभर विद्युत प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्युत क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश को बढ़ाने के लिए संघ सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान विद्युत क्षेत्र (नवीकरणीय ऊर्जा को छोड़कर) में किए गए सार्वजनिक और निजी निवेश की राशि निम्नवत हैः

रु. करोड़

क्षेत्र	**11वीं योजना**	**12वीं योजना**
सार्वजनिक	3,92,110	6,98,191
निजी	3,01,370	4,42,588
कुल	**6,93,480**	**11,40,779**

(ख) और (ग) : देश की विद्युत मांग का आवधिक रूप से मूल्यांकन विगत वर्षों में प्रणाली पर वास्तविक आकस्मिक विद्युत मांग, सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों, भविष्य के लिए नियोजित विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों आदि को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण समिति (ईपीएससी) द्वारा किया जाता है। नवीनतम विद्युत मांग पूर्वानुमान रिपोर्ट भारत का 19वां इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित किए गए 19वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार, वर्ष 2016-17, 2021-22 और 2026-27 के लिए देश की विद्युत ऊर्जा मांग (ईईआर) तथा व्यस्ततम मांग नीचे दी गई हैः

वर्ष	**वैद्युत ऊर्जा मांग (एमयू)**	**व्यस्ततम मांग (मेगावाट)**
2016-17	1160429	161834
2021-22	1566023	225751
2026-27	2047434	298774

51218.59 मेगावाट की ताप उत्पादन क्षमता, 12,217.5 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 7700 मेगावाट की न्यूक्लियर उत्पादन क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, 44100 मेगावाट न्यूक्लियर क्षमता को भी चिन्हित किया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 जीडब्ल्यू क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(घ) : केंद्र सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं:

(i) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों के साथ वर्ष 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा दिनांक 28.01.2016 को संशोधित प्रशुल्क नीति अधिसूचित की है।

(ii) विद्युत उत्पादन (परमाणु ऊर्जा के सिवाय) पारेषण, वितरण एवं ट्रेडिंग की परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी जाती है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत विद्युत एक्सचेंजों में 49% तक की एफडीआई की अनुमति दी जाती है।

(iii) सरकार ने डिस्कॉमों की प्रचालनात्मक एवं वित्तीय प्रतिवर्तन के लिए दिनांक 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।

****